



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु (चूरु)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार-। आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2011/16

दर्ज दिनांक : 09.02.2011

1. चैनरूप दत्तक पुत्र भगवती बेवा हाफचन्द जाति नाई निवासी वार्ड नं. 33, चूरु तह. व जिला चूरु (राज.)

-वादी-

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र सरस्वती पुत्री कमला जाति नाई निवासी कसाईवाड़ा, चूरु तह. व जिला चूरु (राज.)
2. हनुमान प्रसाद पुत्र सरस्वती पुत्री कमला जाति नाई निवासी कसाईवाड़ा, चूरु तह. व जिला चूरु (राज.)
3. पवन कुमार पुत्र सरस्वती पुत्री कमला जाति नाई निवासी कसाईवाड़ा, चूरु तह. व जिला चूरु (राज.)
4. दुर्गादत्त पुत्र गोमा उर्फ गोमती पुत्री कमला जाति नाई निवासी चिड़ावा तह. चिड़ावा जिला झुंझुनू
5. राजकुमार पुत्र गोमा उर्फ गोमती पुत्री कमला जाति नाई निवासी चिड़ावा तह. चिड़ावा जिला झुंझुनू
6. रतनलाल पुत्र गोमा उर्फ गोमती पुत्री कमला जाति नाई निवासी चिड़ावा तह. चिड़ावा जिला झुंझुनू
7. भवानीशंकर पुत्र गोमा उर्फ गोमती पुत्री कमला जाति नाई निवासी चिड़ावा तह. चिड़ावा जिला झुंझुनू
8. (फौत) नानू पुत्री कमला पत्नि मदनलाल जाति नाई निवासी बगड़ हॉल कानपुर (उत्तरप्रदेश)
8/1 शंकरलाल पुत्र नानू पत्नि मदनलाल जाति नाई निवासी बगड़ हॉल निवासी कानपुर (उत्तरप्रदेश)
8/2 पप्पन पुत्र नानू जाति नाई निवासी बगड़ हॉल निवासी कानपुर (उत्तरप्रदेश)
8/3 चूहिया पुत्री नानू जाति नाई निवासी बगड़ हॉल निवासी कानपुर (उत्तरप्रदेश)
9. जगदीश प्रसाद पुत्र शांति पुत्री कमला जाति नाई निवासी दूधवाखारा तह. व जिला चूरु
10. सीता देवी बेवा रामचन्द्र जाति नाई निवासी राममंदिर के पास, अग्रसेन नगर, चूरु
11. मुकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति नाई निवासी राममंदिर के पास, अग्रसेन नगर, चूरु
12. अजय कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति नाई निवासी राममंदिर के पास, अग्रसेन नगर, चूरु
13. ममता पुत्री रामचन्द्र पत्नि निर्मल कुमार जाति नाई निवासी भादरा जिला हनुमानगढ़
14. मनीषा पुत्री रामचन्द्र पत्नि अरविन्द कुमार जाति नाई निवासी बीकानेर
15. जयचन्द पुत्र अनुराम जाति नाई निवासी वार्ड सं. 13, नया बास, चूरु
16. रतनलाल पुत्र अनुराम जाति नाई निवासी वार्ड सं. 13, नया बास, चूरु
17. विजय कुमार पुत्र अनुराम जाति नाई निवासी वार्ड सं. 13, नया बास, चूरु



18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरु तहसील व जिला चूरु (राज.)

-प्रतिवादीगण-

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री ललित गौतम
प्रतिवादी श्री बजरंगलाल शर्मा
श्री शिवगौतम सोलंकी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: पर्चा डिक्री :

दावा वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा-53, 88 बाबत् तकसीम आराजी तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि हाल संयुक्त आराजी खसरा संख्या 2629/1221/4.4010 हैक्टेयर, रोही चूरु तहसील व जिला चूरु मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में खाता प्रविष्टियां दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरु को दिये जाते हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1.	चैनरूप दत्तक पुत्र भगवती पत्नी हाफचन्द 9818/21048 हि. चन्दादेवी पुत्री गोमा पुत्री कमला 439/21048 हि. संतोष उर्फ भगोती पुत्री गोमा पुत्री कमला 439/21048 हि. मणीदेवी पुत्री गोमा पुत्री कमला 439/21048 हि. राणीदेवी पुत्री गोमा पुत्री कमला 439/21048 हि. लीलादेवी पुत्री गोमा पुत्री कमला 439/21048 हि. सुशीलादेवी पुत्री गोमा पुत्री कमला 439/21048 हि. राधा पुत्री सरस्वती 877/21048 हि. राजू उर्फ शारदा पुत्री सरस्वती 877/21048 हि. जाति नाई निवासी चूरु रजनीदेवी पत्नी किरोडीमल 4401/21048 हि. जाति जाट निवासी बिरमी जिला झुझुनूं रामावतार पुत्र भागीरथमल 2529/21048 हि. जाति जाट निवासी विजयपुरा तह. लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर खातेदार	2629/1221 मिन	2.1048	बारानी
		किता 1	2.1048	बारानी
2.	सीतादेवी पत्नी रामचन्द्र 1139/22764 हि., अजय मुकेश मनीषा ममता पुत्रान पुत्रियां रामचन्द्र हि. 4552/22764 हि. ब. हि. ब. जयचन्दलाल पुत्र अनुराम 5691/22764 हि. विजयकुमार पुत्र अनुराम 5691/22764 हि. रतनलाल पुत्र अनुराम 5691/22764 हि. राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा स्टेशन रोड़ चूरु जाति नाई निवासी चूरु खातेदार	2629/1221 मिन	2.2764	बारानी
		किता 1	2.2764	बारानी
3.	रास्ता	2629/1221 मिन	0.0198	गै.मु.रा.

चैनरूप बनाम महावीर प्रसाद आदि


2011 / 16

निर्णय दिनांक:- 23.03.2026

17.04-26

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करें। तहसीलदार, चूरु को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। विभाजन की कार्यवाही एवं उसके परिणामस्वरूप किया जाने वाला बंटवारा बैंक के पूर्ववर्ती अधिकारों, बंधक अथवा चार्ज के अधीन रहेगा। संबंधित बैंक को विधि अनुसार अपना बकाया वसूल करने एवं विधिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

यह डिक्री आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुनील कुमार- I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरु (चूरु)